ब न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही।

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 26/2015

दिलीप कुमार बनाम परशुराम साव

तारिख	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति
	आवेदक दिलीप कुमार पिता– लखन साव निवासी ग्राम ताजपुर, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग द्वारा क्रय की गई भूमि, मौजा ताजपुर, खाता नं0 87 , प्लौट नं0 1127, रकवा 0.06 ए0 भूमि के दाखिल खारिज वाद सं0 25/15–16 में अंचल अधिकारी चौपारण द्वारा दिनांक 18.04.2015 को पारित आदेश को रद्द करने हेतू अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। क्योंकि प्रश्नगत भूमि आवेदक द्वारा वर्ष 2015 में क्रय की गई तथा उस पर उनका दखल कब्जा था फिर भी अंचल अधिकारी चौपारण द्वारा बिना जाँच पड़ताल के ही उनके दाखिल खारिज बाद से 25/15–16 को अस्वीकृत कर दिया गया। आवेदक द्वारा विपक्षी परशुराम साव, पिता भुनेश्वर साव, ग्राम चैथी, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग को बनाया गया है।	
	आवेदक का आवेदन के आलोक में पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी चौपारण से दाखिल खरिज वाद सं0 25/15–16 का मूल अभिलेख की माँग की गई। अंचल अधिकारी चौपारण के पत्रांक 244, दिनांक 03.03.2016 द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 25/15–16 का मूल अभिलेख प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी चौपारण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता शादाब अख्तर के भाई जफरूल्लाह द्वारा प्रश्नगत भूमि परशुराम साव से पास बिक्री किये है। उक्त भूमि विवादित है। अतः दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जा सकता है।	
	आवेदक द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय को दिनांक 18.02.2020 को आवेदन समर्पित किया कि अंचल अधिकारी चौपारण को बाद में पुनः मेरे द्वारा प्रश्नगत भूमि के दाखिल खारिज हेतू ऑनलाइन आवेदन समर्पित किया गया जिसे अंचल अधिकारी चौपारण द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है इसलिए इस वाद को समाप्त कर दिया जाय। विपक्षी परशुराम के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18.07.19 को आवेदन समर्पित किया गया कि अंचल अधिकारी चौपारण द्वारा दिनांक 10.02.2019 को दाखिल खारिज वाद सं0 61R27/2018-19 द्वारा प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज पुनः दिलीप कुमार के नाम से स्वीकृत कर दिया गया है जबकि अधोहस्ताक्षरी न्यायालय से आवेदक का अपील आवेदन दिनांक 21.07.15 से लम्बित है। इसलिए अंचल अधिकारी चौपारण को प्रश्नगत भूमि के लगान रसीद पर इस वाद के निष्पादन तक रोक लगाने का अनुरोध किया गया।	
	विपक्षी के आवदेन के आलोक में इस कार्यालय के प्रत्रांक 173 दिनांक 02.08.2019 द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 61R27/2018-19 के स्वीकृति के संबंध में अंचल अधिकारी चौपारण से स्पष्टीकरण की माँग की गई। अंचल अधिकारी चौपारण के पत्रांक 03 दिनांक 04.01.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आवेदक दिलीप कुमार द्वारा तथ्य को छुपाते हुए पुनः ऑनलाईन आवेदन किया गया जिसके फलस्वरूप राजस्व उप निरीक्षक/ अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में	

दाखिल खारिज वाद सं0 61R27/2018-19 को स्वीकृत किया गया। आवेदक दिलीप कुमार के द्वारा अंचल के कर्मियों/पदाधिकारी को गुमराह करते हुए कराये गए दाखिल खारिज वाद सं0 61R27/18-19 को रद्द करते हुए स्पष्टीकारण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 234/रा0 दिनांक 16/12/2020 द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 61R27/2018-19 द्वारा अंचल अधिकारी चौपारण द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए प्रश्नगत भूमि मौजा ताजपुर,खाता न0 87, प्लौट नं0 1127, रकवा 0.06 ए0 भूमि की दिलीप कुमार पिता लखन साव, ग्राम ताजपुर के नाम से ऑनलाईन पंजी II में दर्ज जमाबंदी को हटाते हुए सरकारी लगान रसीद निर्गत करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश अंचल अधिकारी चौपारण को दी गई।

आवेदक दिलीप कुमार द्वारा पुनः दिनांक 18.06.2021 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दाखिल किया गया कि मेरे द्वारा मौजा ताजपुर, खाता नं0 87, प्लौट नं0 1127, रकवा 0.06 ए0 भूमि पर कभी भी दावा नहीं किया जाएगा तथा इस वाद को आगे नहीं लड़ना चाहता हूँ चूँकि मेरा इस भूमि पर कभी दावा दखल नहीं रहा इसलिए इस वाद की कार्रवाई को समाप्त कर दिया जाय।

अतएव आवेदक दिलीप कुमार द्वारा दाखिल वाद समाप्त करने संबंधी आवेदन के आलोक में इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है तथा आवेदक दिलीप कुमार पिता लखन साव निवासी ग्राम ताजपूर द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित दाखिल अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तथा अंचल अधिकारी चौपारण को आदेश दिया जाता है कि इस कार्यालय के पत्रांक 234/रा0 दिनांक 16.12.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

22/11/17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

22/11/17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by Ajay Bhagat
Date: 2025.08.13 17:13:29 +05:30
Location: 192.168.1.36